28/01/2020 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी उपस्थित।

वकील वादी द्वारा की गई एकपक्षीय बहस मे उठाए गए बिंदुओं पर मनन, पत्रावली पर प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजात के अवलोकन एवं मुस्लिम दान संबंधी विधि (हिबा) को दृष्टिगत रखते

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हुए मुस्लिम विधि के अधीन, एकवैध हिबा होने के लिए निम्नलिखित तीन आवश्यक तत्व विद्यमान होने अपेक्षित है - (i) दाता के द्वारा दान की घोषणा (ii) आदाता के द्वारा या उसकी ओर से, अभिव्यक्तत: या विवक्षित रूप से दान का प्रतिग्रहण; एवं (iii) दान की विषयवस्तु के कब्जे का परिदान। अब उपर्युक्त बिन्दुओं पर क्रम से विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया जाना है कि हस्तगत प्रकरण में इन तीनों बिंदुओं की अनुपालना हुई है अथवा नहीं।
बिन्दु सं.	1 : दाता के द्वारा दान की घोषणा :- दाता के द्वारा दान के मौखिक हिबा को साबित करने के लिए साक्ष्य स्वरूप मोलवी बहाऊदीन का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया है, जिसमें मोलवी बहाऊदीन ने कथन किया है कि 'वादी भप्पा खां की माता के देहांत हो जाने के उपरान्त मुस्लिम विधि एवं रीति रिवाज अनुसार उसकी माता दोनों के मिलाद दिनांक 08.03.2001 के अवसर पर वादी की बहनों ऐसो एवं माडो द्वारा अपनी स्वतन्त्र सहमति व परिवारजन की उपस्थिति में दोनों ने अपने-अपने हिस्सा की 2/8 हिस्सा कृषि भूमि मौखिक रूप से वादी के पक्ष में हिब्बा (दस्तबदार) का कथन करते हुए ऐसो एवं माडो द्वारा अपने-अपने हिस्सा की भूमि का हक त्याग जरिए मौखिक हिब्बानामा वादी के पक्ष में कर दिया।'

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	वादी पक्ष ने दाता द्वारा दान की घोषणा को सिद्ध करने के लिए उक्त मौलवी के अतिरिक्त किसी अन्य के बयान नहीं करवाए है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों यथा वादी की दूसरी बहन मडो एवं अन्य सदस्य जो मौखिक हिब्बानामा के अवसर पर उपस्थित थे, के बयान करवाये जा सकते थे। केवल मौलवी के बयान से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पँहुचने में स्वयं को सक्षम नहीं पाता कि क्या वास्तव में मौखिक हिब्बानामा हुआ था?	
	इसके अतिरिक्त वादी ने अपने वाद पत्र मौखिक हिब्बानामा निष्पादन को दिनांक 08.03.2001 बताई है, जबकि उक्त मौखिक हिब्बानामा की पालना में वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष 24.11.2014 में एवं मौखिक हिब्बानामा निष्पादनकर्ता ऐसो पुत्री दीनो की मृत्यु के पश्चात् प्रस्तुत किया गया। फलतः तथाकथित मौखिक हिब्बानामा के निष्पादन के उक्त हिब्बानामा की पालना में अधिकारो की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत करने के मध्य का 13 वर्ष का अन्तराल एवं निष्पादनकर्ता के जीवन काल में इस्तगासा आशय का वादपत्र वादी द्वारा न प्रस्तुत किया जाना संदेह उत्पन्न करता है।	
	अतः न्यायालय इस बात से स्पष्टतः प्रभावित नहीं है कि वाकई में ऐसो पुत्री दीना द्वारा मौखिक हिब्बानामा निष्पादित किया	

गया था।

बिन्दु सं. 2 चूंकि न्यायालय बिन्दु सं. 1 के संबंध में ही वादी के दावे से कन्विन्स्ड नहीं है, अत: बिन्दु सं. 2 पर विचारण का न्यायालय की राय में कोई औचित्य नहीं है।

बिन्दु सं. 3 चूंकि न्यायालय बिन्दु सं. 1 के संबंध में ही वादी के दावे से प्रभावित नहीं है अत: बिन्दु संख्या 3 पर विचारण का न्यायालय की राय में कोई औचित्य नहीं है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आलोक में न्यायालय की राय में वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

—: निर्णय :—

अत: हस्तगत वाद में चक नं. 11 एस(बी) तहसील अनूपगढ़ का मु. नं. 23 पं. सं. 239/50 का किला नं. 1 ता 25 का कुल 6.325 हैक्टर खातेदारी में से वर्तमान में एसो पुत्री दीना के नाम की विवादित 0.316 हैक्टर भूमि का मौखिक हिब्बानामा की पालना में वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायालय की राय में न्यायसंगत नहीं है, फलत: वाद वादी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/01/2020

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.02.05 11:25:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: